गोवंश की रक्षा की आवश्यकता
और
हमारा कर्त्तव्य

लेखक एवं संकलनकर्त्ता:—
पुरुषोत्तमदास झुनझुनवाला

प्रकाशक :— विश्व हिन्दू परिषद्, रामकृष्ण वीथि, पटना— 800004

गो वध : संक्षिप्त जानकारी

क्या आप जानते हैं ?

(1) कि हर रोज लगभग एक लाख गोवंश का कतल हो रहा है।

(2) कि गत वर्ष केवल बम्बई के कसाईखाने में 121656 से अधिक बैलों का बध किया जाता है।

(3) कि बंगाल और केरल में गाय और बम्बई आदि स्थानों पर बैल काटे जाते हैं।

(4) कि 1973-74 में जहाँ भारत से केवल दो हजार टन गो मांस का निर्यात किया गया था वहीं यह संख्या 1982 में बढ़कर एक लाख टन हो गई है।

(5) देश में जवान बैल इसलिए काटे जाते हैं कि उनका मांस विदेशों को निर्यात किया जाता है। विदेशों से पेट्रोडालर्स या रुपया लेकर जवान बैलों को काटकर उनके मांस विदेश भेजे जाते हैं।

(6) कि व्यापारी 12 - रुपये किलो तक मांस खरीदकर 120 - रुपया किलो तक विदेशों को बिक्री कर रहा है। इस व्यवसाय में करीब 3 लाख परिवार लगे हुए हैं। उनमें अधिकांश हिन्दू व्यापारी करीबन 90% लगे हुए हैं बाकी 10 प्रतिशत मुस्लिम इस व्यवसाय में हैं।

(7) कि भारत सरकार की जो गो संवर्धन सलाहकार परिषद् ने एक मत से सम्पूर्ण गो वंश हत्या बन्दी के लिये प्रस्ताव पास किया है और भारत सरकार इसके लिए वचनवद्ध है।

(8) कि जो काम आज बैल गाड़ियों से होता है वह अगर यंत्रों से करना हो तो उसके लिए हमें 15 सौ करोड़ से 72 सौ करोड़ की धनराशि और लगानी पड़ेगी।

(9) कि पाकिस्तान में पिछले 20 वर्षों से गायों एवं बैलों का अत्यन्त अभाव हो जाने के कारण वहाँ की सरकार को विवश होकर आंशिक गो हत्या बन्दी करनी पड़ी। कानून से वहाँ गो हत्या बन्द है परन्तु

जिलाधिकारी से अनुमति लेकर धार्मिक क्रिया के लिए गो हत्या वर्ष में एक बार की जाती है।

(10) विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम राष्ट्र इन्डोनेशिया में सिर्फ बाली द्वीप में हिन्दुओं की धार्मिक भावना को देखते हुए आजाद होने के समय से ही सम्पूर्ण गोहत्या बन्द की गई है।

(11) कि स्वराज्य की लड़ाई में लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मिलने से पहला कानून गोवध रोकने का प्रस्ताव पारित किया जायगा।

(12) कि संविधान की धारा 48 में गो वध पर रोक लगाया गया जिस संविधान को भारत के सभी धर्मों के अनुयायियों ने मिलकर पारित किया था।

(13) कि एक कसाई ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि अपने निर्वाह के लिए गाय या बैल को कतल करने का मेरा अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि गाय काटने का अधिकार नहीं दिया जायेगा क्योंकि गाय कृषि प्रधान देश भारत की रक्षा करती है। बैल जब तक उपयोगी है तब तक कम से कम 15 वर्ष तक की आयु तक नहीं काटा जाय।

एक कसाई न तो गाय रंभाने पर और न ही उसकी सुन्दरता पर रीझता है। उसे इस बात से भी कोई प्रयोजन नहीं कि गाय दूध कितना देती है, उसकी दिलचस्पी केवल इस बात में होती है कि उस गाय से उसे मांस कितना प्राप्त हो सकता है।

—"नुकती दानां से"

गोवंश हत्या बन्दी : विभिन्न धर्मों की नज़र में

गोवध बन्दी एक शुद्ध आर्थिक सवाल है। अगर इस देश के बहुसंख्यक हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएँ इसके साथ जुड़ी हैं तो उसका आधार भी शुद्ध आर्थिक तथा वैज्ञानिक हीं हैं।

कुरान फाक में यह कहीं नहीं लिखा कि अगर तुम गाय नहीं काटोगे तो तुम मुसलमान नहीं रहोगे। हदीस में आया है कि "गाय का गोस्त बिमारी दूध, दवा और घी रसायन है।" तो इसका स्पष्ट मतलब है कि इसमे गाय काटने और उसक गोश्त खाने मे एक तरह से परहेज करने को ही कहा गया है। यूरोप तथा अरब देशों में घोड़े के मांस लोग नहीं खाते। इसका कारण यही है कि घोड़े से खेती होती है। भारत में गाय बैल पर हमारे देश की खेती निर्भर है, वह हमारे जीवन का आधार है इसलिए यहाँ गाय बैल को पूजा होती है और उन्हें काटने की मनाही की गई है। बादशाह अकबर ने अपने राज्य में गाय-बैल की हत्या बन्द करने का शाही फरमान जारी किया था और गो हत्या करने वाले को मौत की सजा रखी थी।

इसाई धर्म मे तो "लव दाय नेबर एस द य सैल्फ" यानि अपने अपने पड़ोसी पर अपने जैसा प्यार करने की तालीम दी गई है। इसाई धर्म के महान् संत सेन्टपाल ने तो यहाँ तक कहा है कि 'अगर मेरे पड़ोसी को मांस खाने से तकलीफ होती है तो मैं जीवन भर माँसाहार नहीं करूँगा" 1979 में जब पूज्य विनोबा जी ने गोवध बन्दी के लिए आमरण अनसन किया था तो उस वक्त भारत के प्रमुख इसाई पादरियों ने गोवध बन्दी के लिए विनोबा जी को अपना समर्थन दिया था।

इस्लाम धर्म के जमायत-ऐ-उलमा-ऐ-हिन्द के उलमाओं ने तथा दिल्ली के मौलाना अबदुल्ला बुखारी ने भी संत विनोबा जी से कहा था कि आप उपवास छोड़ दें हम आपके साथ हैं।

गोहत्या बन्दी की आवश्यकता और हमारा कर्त्तव्य

भारत के लिए गाय और बल अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं तथा इनके साथ हमारे देश के जीवन-मरण का प्रश्न जुड़ा हुआ है। भारत के ऋषियों, मुनियों और मनुष्यों ने अपनी साधना और तपस्या से जिस प्रकार ब्रह्म विद्या का आविष्कार किया, कृषि विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान और शून्य विज्ञान का अनुसंधान किया उसी प्रकार गो विज्ञान का भी अनुसंधान एवम् विकास किया है। वस्तुत: गो विज्ञान विश्व को भारत की एक अनुपम देन है। गाय भारतीय सभ्यता और सस्कृति का प्रतीक है। भारत का सारा सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन गोवंश पर आश्रित रहा है। कृषि, ग्रामीण उद्योग धन्धे, वाणिज्य और परिवहन, आदि के सहित समस्त भारतीय अर्थतंत्र गाय पर केन्द्रित है। इसलिए विनोवा जी ने कहा है—"गोवंश की रक्षा भारतीय संस्कृति का आदेश है।" यह जो बूढ़ें गाय और बैल की बात उठाई जाती है वह बिल्कुल निराधार है। गाय और बैल मरते समय तक सेवा देते रहते हैं यह बात गांवों के किसान अच्छी तरह जानते हैं और गोबर गैस प्लाण्ट के आ जाने के बाद कोई भी गाय और बैल निरोपयोगी नहीं रह जाता। काम न कर सकने की हालत में भी गाय बैल जितना घास चारा खायेंगे उससे ज्यादा कीमत का ईंधन के लिए गैस तथा खाद उनके गोबर तथा पेशाब से मिल सकती है। भारत के लिए यह गौरव हासिल है कि यहां गोबर गैस प्लान्ट का सबसे पहले आविष्कार हुआ। लेकिन बड़ें ही दु:ख की बात है कि इतने वर्षों से भारत में केवल सत्तर हजार गोबर गैस प्लाण्ट ही बन पाये जबकि चीन में अस्सी लाख गोबर गैस प्लाण्ट बन चुके हैं।

आज भारत में ही नही सारी दुनिया में बहुत बड़ा ऊर्जा संकट है, पिछले साल अगस्त में जब विश्व ऊर्जा सम्मेलन हुआ तो उसमें हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी मुख्य अतिथि के रूप में वहां पधारी थीं। वहां उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि "गाय बैल भारत के लिए कितना महत्व रखते हैं और वे हमारे देश में ऊर्जा के सबसे बड़ें स्रोत हैं। जो काम आज भारत में बैल गाड़ियों से होता है वह कार्य अगर यन्त्रों से करना हो तो उसके लिए हमें ४५ सौ करोड़ से ७२ सौ करोड़ रूपये की धनराशि और लगानी पड़ेंगी। हमें समझ में नहीं आता कि हमारी प्रधान मन्त्री जी जब विदेश जाकर गाय बैल को अपने देश के लिए इतना बड़ा महत्व और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत मानती

हैं तो वह भारत में आकर गाय बैलों की हत्या को बन्द करने जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को, जिस पर सारे भारत का ग्रामीण आर्थिक ढाँचा टिका हुआ है, टालने का प्रयास क्यों करती हैं।

हमारी सरकार विदेशों से करोड़ों रुपये ऋण लेकर भारत में बड़े-बड़े रासायनिक खाद बनाने के कारखाने लगाती है और खाद का आयात भी करती है। इसके लिए जहाँ हमें करोड़ों रूपये की बहुमूल्य राशि विदेशों को चुकानी पड़ती है वहाँ इन कारखानों से निकलने वाले धुएँ से प्रदूषण की भयंकर समस्या भी पैदा होती है और जब रासायनिक खाद खेतों में डाली जाती है तो उससे थोड़े समय के लिए भले ही उत्पादन बढ़ता है लेकिन वास्तव में इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति लगातार घटती जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब जमीन कुछ भी पैदा करने योग्य नहीं रहती। यह बात अमेरिका में सिद्ध हो चुकी है कि जहाँ ट्रैक्टर से गहरी जुताई की गई व रासायनिक खाद लगातार ज्यादा प्रयोग किया गया वहाँ जमीन कुछ वर्षों बाद बिल्कुल ही ऊसर बन जाती है और उसमे कुछ भी पैदा करने की ताकत नहीं रह जाती। अमेरिका जैसे बड़े देश में अगर इस तरह कुछ जमीन बरबाद भी हो जाये तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता; क्योंकि वहाँ प्रति व्यक्ति बीस से पच्चीस एकड़ जमीन आती है. मगर भारत मे तो प्रति व्यक्ति केवल आधा से पौन एकड़ जमीन ही हिस्से आती है। अमेरिका में खेती केवल तीन सौ साल से ही शुरू हुआ है जबकि भारत में हजारों साल से खेती होती रही है।

हमारी जमीन तो पहले ही बहुत बूढ़ी है और अगर इस बूढ़ी माता से ज्यादा उत्पादन लेने के लालच में जैसा कि आज हो रहा है, रासायनिक खाद का ज्यादा प्रयोग किया गया तो हमारी जमीन बहुत जल्दी आने वाले सालों में उत्पादन देने से इन्कार कर देगी और देश के सामने एक भयानक संकट पैदा हो जायगा। इसके साथ ही रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाइयों के ज्यादा प्रयोग के कारण जो अनाज, सब्जी तथा फल पैदा होते हैं उसका लोगों के स्वास्थ्य पर भयंकर असर हो रहा है और नई-नई बीमारियाँ दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं।

जितना रुपया विदेशों से ऋण लेकर ट्रैक्टर तथा उसके पुर्जें मँगवाने में तथा रासायनिक खाद के कारखाने खड़े करने में लगाया जा रहा है अगर उतना रुपया गाँव-गाँव में गोबर गैस प्लाण्ट के साथ फ्लश, पैखाना जोड़कर लगाने में खर्च किया जाय तो इससे जहाँ गाँव-गाँव में लोगों की इस ईन्धन की महत्वपूर्ण समस्या हल होगी, वहाँ खेती के लिये जमीन की ताकत तथा पैदावार बढ़ानेवाली उत्तम खाद भी मिलेगी तथा गाँव-गाँव में सफाई भी हो

[शेष पृष्ठ ९ पर देखें]

गोमूत्र एक उपयोगी औषध

आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुरेश चतुर्वेदी के अनुसार 'चिकित्सा - शास्त्र के दृष्टिकोण से गो मूत्र अनेक औषधियों को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त होता है तथा खून की खराबी, खुजली, कुष्ट रोग, चर्म रोग, तथा पेट की कृमियों को नष्ट करने के लिए उपयोगी होता है। यह वायु एवं कफ की बिमारी, पेट में वायु का गोला बनने, शरीर की वेदना तथा कब्जी की शिकायत में भी लाभ-कारी है। नेत्र अनिन्द में भी दो-दो बूंद डालना लाभदायक होता है। सूजन, खाँसी, श्वास, कमला, पेशाब की रुकावट, प्लीहावृद्धि तथा बवासीर में भी इसका उपयोग लाभकारी होता है।

और अब एक पत्र में ऐसी अप्रकाशित पुस्तकों की पाण्डुलिपि सूची प्रकाशित हुई है, जिनमें निम्न रोगों की गोमूत्र से की जाने वाली चिकित्सा विधियों का वर्णन है। समस्त विषनाश, अश्मरी (पथरी) चिकित्सा, मोटापन जीर्ण प्रतिश्यायक चिकित्सा, कर्ण रोग, बालरोग, गर्भपात, बाँझपन, अल्पमित मासिक धर्म, रक्तप्रदा, श्वेत प्रदर, समस्त नेत्र रोग, शूल, जोल तथा यकृत चिकित्सा, उदीवात, पक्षवात, मधुमेह, क्षय, रक्तचाप, खासकीस, तनावमुक्ति व अनिन्द्रा, हृदय रोग, गोमांस भक्षण द्वारा उत्पन्न कर्करावुर्द (केन्सर) चिकित्सा बछड़े - बछड़ियों के अनेक रोगों का इलाज भी गोमूत्र से होता है।

गोमूत्र तत्व द्वारा असाध्य और कठिन माने जाने वाले रोगों की चिकित्सा भी होती है। पोलियो, उन्माद, रक्तदाब, 80 प्रकार वातरोग, खासकारी 40 पित्त, 20 खाने के रोग, चक्रत उदरवात, शूल, मूत्र रोग, समस्त स्त्री रोग, वाह्य श्वेत प्रदर, रक्तप्रद आदि। आवश्यकता इस बात की है कि आयुर्वेदिक संस्थान इस दिशा में वैज्ञानिक शोध करके, इन शोधों के परिणामों को प्रका-शित कर, गोप्रेमियों और साधारण जनता को लाभान्वित करें।

❋ गोमांस का निर्यात : १९७३-७४ में २,१०० टन तथा १९७९-८० में बढ़ कर ८०,००० टन।

❋ मात्र बम्बई से देवनार कसाई खाने मे काटे गये बैल १९७३-७४ में ९६,७८६ तथा १९८०-८१ में बढ़कर १,२१,६५६।

[पृष्ठ पांच का शेषांश]

सकेगी और गन्दगी का अभिशाप भी मिटाया जा सकता है। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि बड़ी-बड़ी घोषणाओं के बावजूद भी सरकार का ध्यान गांव के विकास की तरफ नही जाता। यही कारण है कि 35 साल आजादी के बाद भी ग्रामीणजीवन में कोई विशेष अन्तर नहीं आया। बल्कि उल्टे उद्योगीकरण और शहरीकरण के नाम पर तथा व्यापक गाय बैल की हत्या के कारण ग्रामीण जीवन टूट गया है।

गायों के काटने का प्रभाव बैलों की उपलब्ध संख्या पर भी पड़ रहा है। देश की 40 करोड़ हेक्टर कृषि योग्य भूमि के लिये सात-आठ करोड़ बैलों की आवश्यकता है जबकि साढ़े तीन करोड़ बैल ही उपलब्ध हैं। केवल बम्बई स्थित देवनार कसाई खाने में प्रति वर्ष 121656 से अधिक बैलों का वध किया जाता है।

जिस वक्त पशुओं की इतनी संगठित कतल नहीं होती थी तब भी गांव के पशु गाँव में ही मरते थे और गांव में गरीब हरिजनों को मुफ्त में पशु खाल मिल जाती थी और गांवों के इन हरिजनों के पास चमड़ा रंगने का तथा जूता बनाने का बहुत बड़ा रोजगार था। लेकिन आज इस अन्धाधुन्ध कतल की वजह से गाँव के पशु जैसे तैसे बड़े-बड़े शहरों की कतल खानों में पहुँच जाते हैं और ये सारा धन्धा बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथ में केन्द्रित हो गया है। इसके कारण गांव के लाखों हरिजन बेकार हो गये हैं। अगर गाय-बैल कतल पूरी तरह बन्द हो जाये तो इससे गांव गांव में मरे हुए पशुओं का चमड़ा रंगने, जूता बनाने, हड्डी तथा मांस का खाद बनाने के छोटे-छोटे कारखाने खड़े हो सकते हैं। अगर इसके साथ गो पालन को बढ़ावा दिया जाये तो इससे गाँवों के लाखों गरीबों को रोजगार मिल सकता है।

हर रोज लगभग एक लाख गो वंश का कतल हो रहा है। 1973 74 में जहाँ केवल दो हजार टन गोमांस का निर्यात किया गया था वहाँ यह संख्या पिछले साल बढ़कर एक लाख टन हो गई है। धर्म प्रधान भारत से गोमांस का निर्यात हो इससे बड़ी अपमान भारतीय संस्कृति का और क्या होगा ? गोवंश की हत्या बन्द कराने के लिये अनेक प्रयत्न तथा बलिदान हुए हैं।

यह अत्यन्त दुःख और लज्जा की बात है कि हमारी पुण्यभूमि से विदेशों में मांस का निर्यात हो रहा है। मांस निर्यात के घृणित और भारत के इतिहास में कभी न हुए ऐसे निर्लज्ज व आत्मघाती विदेशी व्यापार के कारण ही भारत में बड़े पैमाने पर गोधन नष्ट हो रहा है। अतः किसी भी पशु के मांस के निर्यात पर तुरन्त पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की जरूरत है।

लेकिन दुःख तो इस बात से होता है कि हमारे कुछ तथाकथित आधुनिकता वादी भाई जो गरीब तथा बहुमत की बात करते हैं, वह देश की 85% जनता की अवहेलना करके तथा गावों के लाखों गरीबों तथा लोगों के व्यापक हित से मुँह मोड़कर गाय-बैल की हत्या की नीति का समर्थन कर रहे हैं। क्या वे इस बात को नहीं जानते कि आज गाय-बैल की कतल करके गोमांस के निर्यात एवं चमड़े हड्डी के धन्धे में 90% लाभ तो बड़े-बड़े पूँजीपति व्यापारी हीं उठा रहे हैं ?

बेचारे कसाइयों और मजदूरों के हिस्से तो केवल गला काटने का पाप और नगण्य मजदूरी हीं आती है। गो हत्या की नीति का समर्थन करके वे कौन सी प्रगतिशील नीति को बढ़ावा दे रहें हैं यह हमारी समझ में नहीं आता। अगर वे गोहत्या नीति को अपनाकर गाँव गाँव में हर बेजमीन, बेघर को घर तथा प्रत्येक गरीब को एक-एक गाय देने के लिए आन्दोलन करें तो इससे इन गरीबों का बहुत बड़ा उपकार होगा। ऐसा करने से जहाँ गाँवों में लाखों गरीबों को रोजगार मिलेगा वहाँ पूँजीपतियों के पूँजीवाद पर कुछ अंकुश भी आयेगा।

भारत के करोडों लोगों की भावनाएँ सदियों से गाय के साथ जुड़ी हैं जिन्हें उखाड़ फेंकना किसी के लिए भी सहज नहीं है। इसलिए अगर हमारे राजनीति में काम करने वाला मित्र गोहत्या बन्दी की नीति अपनाते हैं तो इससे उन्हें देश के हर प्रान्त में लोगों का जनमत अपनी तरफ खींचने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आज उनके लोकप्रिय बनने में सबसे बड़ी रुकावट यही है कि वे देश के करोड़ों लोगों की मनोभावनाओं की कदर नहीं करते। अगर वे भारत को समता की तरफ ले जाना चाहते हैं तो वे भारत की जन भावनाओं को साथ लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं ऐसा हमारा मानना है। इसलिए हम उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि वे देश करोड़ों लोगों की भावनाओं को समझें तथा भारतीय ग्रामीण आर्थिक ढाँचे के लिए गाय-बैल का महत्व ठण्डे दील से पहचानने की कोशिश करें और गोहत्याबन्दी को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें ऐसा करके देश के गरीबों की एवं देश के व्यापक हित की ज्यादा सेवा कर सकेंगे और इससे उन्हें देश को सब जगह आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी ऐसा हमारा दृढ़ मत हैं।

हम सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि बड़ों को चाहे न सही लेकिन देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए देश के हर बच्चे को कम से कम एक पाव दूध हर रोज

अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन आज तो दुर्भाग्य से 100 ग्राम दूध भी देश के

हर बच्चे को नसीब नहीं होता। पंजाब, हरियाणा तथा दूसरे प्रान्तों से अच्छी नश्ल की दूध देने वाली लाखों गायें कलकत्ता ले जाई जाती हैं। दूध बढ़ाने के लिए उन्हें पेचूटरी इन्जेक्शन दिये जाते हैं और जब दूध कम रह जाता है तो उन्हें कत्तलखाने वालों के पास बेंच दिया जाता है। इस तरह अच्छी से अच्छी गायें लाखों की संख्या में कलकत्ता तथा केरल के कतलखानों में नाकारा करार हो जाकर कतल ही कर दी जाती हैं। इस तरह उनका माँस विदेशों को निर्यात करके बड़े-बड़े पूँजीपति व्यापारी अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं। अत्यन्त दुःख की बात तो यह है कि जन कल्याण का दम भरने वाली हमारी सरकार विदेशी मुद्रा कमाने के लिए यह सब देख रही है और विदेशों से सूखे दूध (मिल्क पाउडर) का आयात करती है। लेकिन यह भी देश के करोड़ो बच्चों को नसीब नहीं होता। इससे बड़ा धोखा देश के भावी निर्माताओं (बच्चों) के साथ और क्या हो सकता है कि दूध देने वाली लाखों गायों को चमड़े गोमांस के निर्यात के लिए कतल करके उनके मुँह से दूध छीना जा रहा है।

गाय बचेगी तभी सबको दूध और बैल बचेंगे तभी सबको खाने के लिए अनाज मिल सकता है। गाय बैल कतल होगें तो देश के लिए आत्म-हत्या जैसी बात होगी। देश की समृद्धि तथा देश का उज्जवल भविष्य गाय बैल तथा ग्रामीण विकास पर ही निर्भर करता है। इसलिए गाय बैल को बचाना देश के तथा हमारे सबके अपने जीवन के लिए नितान्त आवश्यक है। यह बात हम सबके ध्यान में आना और उसके लिए कदम बढाना अति आवश्यक है।

यद्यपि गोवंश की रक्षा हमारे संविधान का निर्देश है, हमारी संसद का संकल्प है और हमारी सरकार इसके लिए वचनवद्ध तथापि अब तक इसकी उपेक्षा की गई है।

हम आशा करते हैं कि भारत के सब विचारवान लोग इस प्रश्न को गम्भीरता से समझेंगे और स्थान-स्थान पर कतलखानों की तरफ जाने वाले गाय बैलों के प्रवाह को रोकेंगे तथा तन मन धन से पूरा-पूरा सहयोग देकर भारत को फिर से महान्, खुशहाल, मजबूत, सोने की चिड़िया तथा दूध घी की नदियाँ बहने वाला भारत बनाने के लिए प्रयास करेंगे।

क्राँस ब्रीडिंग : एक अभिशाप

इस आजूमदा तथ्य के बावजूद कि क्राँस ब्रीडिंग (विदेशी साँड़ों के वीर्य से भारतीय गायों का प्रजनन) के कारण भारतोय गोवंश और ग्रामीण जनता के लिए एक गम्भीर सकट उपस्थित हो गया है। यह पढ़कर मन क्षुब्ध हो गया कि 'एग्रीकल्चरल रिफायनेन्स एण्ड डेब्हलपमेंट कार्पोरेशन' (ए० आर० डी० सी०) ने 'उच्च कोटि' की संकरित गायों के पालन की एक योजना बनायी है, जिसके अन्तर्गत ऐसी गायों को रखने और पालने बाले ग्रामीणों को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगो।

हम ए० आर० डी० सी० को अनेक गाय विशेषज्ञों के प्रयोगाधारित इस मत से अवगत कराना चाहते हैं कि क्राँस ब्रीडिंग से देश में बैलों की भीषण कमी पैदा हो गयी है, उन बैलों की जिनका उपयोग खेतों में हल चलाने के अलावा, गाँवों और छोटे कस्बों में परिवहन के लिए भी होता है।

संकरित गायें सिर्फ दूध देने के मतलब की हैं। उनके बछड़े न तो खेती के काम आ सकते हैं, न माल ढोने के। इसलिए अक्सर इन बछड़ों को पैदा होते ही या दस बीस दिन बाद, कसाइयों को बेंच दिया जाता है।

सकर प्रजनन (क्राँस ब्रिडिंग) से उत्पन्न गायों के लालन-पालन के लिए खानपान और निवास के जिन आधुनिक साधनों की आवश्यकता है, हमारे देश में उनका पूरी तरह से अभाव है।

इन सब कारणों से यही एक निष्कर्ष निकलता है कि क्राँस ब्रीडिंग का प्रचार हमारे देश के लिए कल्याणकारी नहीं है।

ए० आर० डी० सी० को चाहिए कि क्राँस ब्रीडिंग के मायामोह से निकलकर काँकरेज. थापारकर, राठी, लालसिंघी, देवनी, खिलार, नागीरी आदि दूध देने की क्षमता देने वाली नश्लों की गायों को अपने ही स्वस्थ साँड़ों से उन्नत बनाकर उनसे अधिक तथा आम प्रकार के बैल प्राप्त करने के लिए किसानों को आसान शर्तों और कम ब्याज पर ऋण प्रदान करं।

❋ भारत में पशु आबादी : १९६१ में १७ ५५ करोड़, १९७२ में १७ ८८ करोड़।

यानि ११ वर्षों में कोई विशेष बढ़ोत्तरी नहीं। और [illegible] के मुकाबले लगभग २०% की कमी हो गयी।

"जबतक गो हत्या होती है मुझे लगता है मेरी अपनी हत्या हो रही है"

— महात्मा गाँधी

सम्पर्क प्रेस, साकची, जमशेदपुर द्वारा मुद्रित ।